

प्रश्न सं. [ क. 2677 ]

3416030/2025/66(Sec-1)

विधानसभा भारंगित प्रश्न क्र- 2677  
 इस माननीय विधायक श्री विपिन जैन

परिशिष्ट - 'अ'

संलग्न



**LANXESS**  
 Energizing Chemistry

Date: 21.07.2025

LIPL/NGD/HSE/2025/199

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

17, भरतपुरी, उज्जैन (मध्य प्रदेश)

विषय : विधानसभा भारंगित प्रश्न क्रमांक 2677, माननीय विधायक  
 श्री विपिन जैन वांछित जानकारी बावत।

सन्दर्भ : आपके ऑफिस से प्राप्त पत्र क्रमांक 806 दिनांक 17.07.2025  
 संलग्न विधानसभा पत्र क्रमांक 2677

महोदय,

इति संदर्भानुसार प्राप्त पत्र के प्रत्युत्तर में स्थिति विदुवार निम्नानुसार है :-  
 (क) क्या उद्योग द्वारा अपने जल की पूर्ति हेतु स्थानीय क्षेत्रों से संगृहीत  
 घरेलु अपशिष्ट जल को इनहॉउस (एस.टी.पी.) में उपचारित करना बताया  
 जाता है? यदि हाँ तो कितने घरों/क्षेत्र का पानी का उपयोग किया जाता  
 है? क्षमता बढ़ेगी तो पानी तो उतना ही रहेगा विपरीत आंकड़े क्यों पेश  
 किए जा रहे हैं?

उत्तर : उद्योग द्वारा अपने जल की पूर्ति हेतु स्थानीय क्षेत्रों से संगृहीत घरेलु  
 अपशिष्ट जल को इनहॉउस 3500 के.एल.डी. क्षमता के इनहॉउस एस.टी.पी.  
 में उपचारित किया जाता है। इसमें प्रमुखतः बिरलायाम-गवर्नेमेंट लेबर  
 कॉलोनी, दुर्गापुरा रहवासी कॉलोनी, मेहतवास रहवासी कॉलोनी क्षेत्र से औसत  
 1000 से 1200 के.एल.डी. घरेलु अपशिष्ट जल जो की लगभग 3000 -  
 4000 घरों का होकर उपयोग किया जाता है। घरेलु अपशिष्ट जल की यह  
 मात्रा इस क्षेत्र में उपलब्ध घरेलु अपशिष्ट जल का लगभग 40-45 प्रतिशत  
 ही है अतः आंकड़े विपरीत होने का प्रश्न नहीं होता है।

LANXESS India Private Limited

Registered Office :

LANXESS House

Plot Nos. A 162-164

Road No. 27, MIDC

Wagle Estate

Thane (W) - 400 604

Maharashtra, India

Tel. + 91 22 2587 1000

Fax + 91 22 2587 1287

infoindia@lanxess.com

www.lanxess.in

CIN : U24119MH2004PTC168377

Works :

Birlagram, Nagda - 456 531

Madhya Pradesh, India

Tel. + 91 7358 245104, 248735, 245447

Fax + 91 7358 246283

अनुभाग अधिकारी  
 पर्यावरण विभाग  
 मिश्रालय, भोपाल (म.प्र.)

INTERNAL

**LANXESS**  
Energizing Chemistry

ख) क्या उद्योग द्वारा ठोस अपशिष्ट और हजारों वेस्ट को उद्योग के अंदर भूमि में डिस्पोज कर दिया जाता है हजार से अधिक फीट के फिरो गए बोर खनन को भूमिगत कर अंडर ग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से प्रदूषित जल को भूमि में उतार दिया जाता है व नालियों में बहा दिया जाता है जिससे की भूमिगत जल स्रोत व चम्बल नदी प्रदूषित हो गए हैं ? जिसके टकरावदा, पारदी, मेहतवास कैंसर जोन, हार्ट अटैक, फेफड़े, साँस लेने में तकलीफ, अस्थमा, एलर्जी, विकलांगता आदि के क्षेत्र बन गए हैं ? प्रदूषण विभाग द्वारा इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

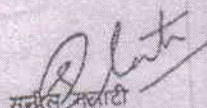
उत्तर : उद्योग हजारों वेस्ट को नियमानुसार टीएसडीएफ / प्रोप्रोसेसर के माध्यम से हजारों एंड अन्य वेस्ट अधिनियम रूल, 2016 अंतर्गत प्रदत्त सम्मति अनुसार ही डिस्पोजल करता है। अन्य किसी भी प्रकार से अपशिष्ट निष्पादन के आरोप असत्य निराधार हैं। उद्योग निरंतर शुद्ध जल निस्स्राव (जेड.एल डी.) का अनुपालन कर रहा है।  
स्वस्थ सन्बन्धी जानकारी - असंगत

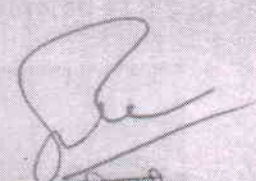
ग) क्या लैंक्सस उद्योग का बायो पावर प्लांट का सञ्चालन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा है ? यदि हाँ तो प्लांट की चिमनी काम उचाई पर होने के कारण आसपास की कॉलोनिश में बायो प्रसाईं ऐश की परत जम जाती है जो मानव स्वस्थ के लिए हानिकारक है विवरण दे।

उत्तर : लैंक्सस उद्योग अपने बायो पावर प्लांट का सञ्चालन सुरक्षा नियमों का अनुपालन करते हुवे ही कर रहा है। चिमनी की उचाई नियमानुसार होकर 58 मीटर है।

भवदीय

वास्ते - लैंक्सस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नागदा

  
सुनील शुक्ला  
साइट हेड - मैनुफैक्चरिंग

  
अनुभाग अधिकारी  
पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, नयापल (म.प्र.)